महत्वपूर्ण एवं खास

मतगणना कार्य प्रशिक्षण 13 फरवरी को : सृजन सभाकक्ष में होगा तीन चरणों में प्रशिक्षण

रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 अंतर्गत 15 फरवरी 2025 को मतगणना कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गई है। जिसका प्रशिक्षण 13 फरवरी 2025 को तीन चरणों में कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में आयोजित होगी। जिसमें प्रथम चरण प्रात: 9 बजे से 11.30 बजे तक, द्वितीय चरण प्रात: 11.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा तृतीय चरण दोपहर 3 बजे से सायं 5.30 बजे तक आयोजित होगी।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी वेबसाईट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त की जा सकती है।

नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की साजिश!

फर्जी नाम से भेजे जा रहे मैसेज

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को फंसाने और गलत कामों में धकेलने का आरोप है. इस मामले में भाजपा नेता निश्चय वाजपेयी ने पुलिस से शिकायत करते हुए एक संगठित गिरोह के खिलाफ जांच की मांग की है, जो खासतौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है. उन्होंने इस मामले में सिविल लाइन थाना और एसएसपी से शिकायत की है. साथ ही इससे जुड़े व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट और अन्य जानकारी भी पुलिस को सौंपी है. निश्चय वाजपेयी ने एसएसपी रायपुर को पत्र लिखकर बताया है कि ऐसे मामले देवेन्द्र नगर, अभनपुर, धमतरी सहित अन्य थानों में भी दर्ज हुए हैं. इस तरह के कामों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें हिंदू समाज की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग की है.

दिनदहाड़े 60 लाख की डकैती : गृहमंत्री ने कहा पाताल में क्यों न छुप जाए डकैत, ढूंढ निकालेंगे

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के अनुपम नगर इलाके में दिनदहाड़े हुई 60 लाख रुपए की डकैती ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। मंगलवार को चार शातिर डकैतों ने वेलू परिवार के घर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, और डकैतों की तलाश तेज कर दी गई है। डकैती की वारदात को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा की डकैतों को पाताल से भी ढूंढकर पकड़ेंगे। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। खम्हारडीह थाना क्षेत्र में हुई इस डकैती के बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें डकैतों की तलाश में जुट गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। शहर के मुख्य प्रवेश और निकास मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई है।

चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म को डिसइंफेक्ट कर सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट किया गया जारी

- सर्विलांस जोन 1 से 10 कि.मी. तक क्षेत्र में पूर्व से उपलब्ध पोल्ट्री उत्पाद की हो सकेगी बिक्री
- सर्विलांस जोन 1 से 10 किमी क्षेत्र सीमा क्षेत्र के अंदर और बाहर से पोल्ट्री उत्पाद की आवाजाही और परिवहन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
- इंफेक्टेड जोन 0 से 1 किमी में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पूर्णत: रहेगी प्रतिबंधित
- सर्विलांस जोन से हर 15 दिन में जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल

रायगढ़

चक्रधर नगर शासकीय पोल्ट्री फार्म की साफ -सफाई और डिजइनफेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात पशु पालन विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।

सैनिटाइजेशन प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात सर्विलांस जोन (1 से 10 किमी) में स्थित पक्षियों एवं पक्षी उत्पाद अण्डों आदि की दुकानें खुल सकेंगी परंतु सर्विलांस जोन (1-10 कि.मी.) की सीमा के अंदर एवं बाहर भी किसी प्रकार के पक्षियों एवं पक्षी उत्पाद अण्डों आदि के परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना के अनुसार संक्रमित क्षेत्र (0.1 कि.मी.) में कम से कम 3 महीने तक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर डिसीज मुक्त घोषित होने तक पक्षियों के पालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सर्विलांस जोन (1-10 कि.मी.) में हर 15 दिन के अंतराल पर बर्ड फ्लू जांच हेतु नमुना लिया जायेगा। प्रत्येक 15 दिन में सर्विलांस जोन के 25 प्रतिशत ग्रामों से नमुने एकत्रित किया जायेगा। जिससे 04 पाक्षिक (प्रत्येक 15 दिन) में क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्रामों का नमुना एकत्रीकरण पूर्ण हो जायेगा एवं चारों पक्षिकों के नमूने नेगेटिव आने के पश्चात सर्विलांस जोन को डिसीज मुक्त घोषित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 03 माह का समय लगेगा।

उल्लेखनीय है कि शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधरनगर रायगढ़ से भेजे गए सेम्पल की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्युरिटी एनिमल डिसिज भोपाल के द्वारा 31 जनवरी 2025 को बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि की थी। बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के पश्चात कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में एपीसेन्टर शासकीय पोल्ट्री फार्म, रायगढ़ के संक्रमित क्षेत्र में मुर्गी, चुजों के साथ अन्य पोल्ट्री उत्पाद को नष्ट करने का कार्य किया गया है। जिसके पश्चात भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना (संशोधित-2021) के अनुसार संक्रमित मामला पाए गए पोल्ट्री फार्म की साफ -सफाई और डिजइनफेक्शन का कार्य किया गया। यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात पशुपालन विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक पशुपालन डी.डी.झरिया ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को चूने के उपयोग, 4 प्रतिशत फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ फूमिगेशन और 2 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ स्प्रे द्वारा साफ कीटाणुरहित और स्वच्छ किया गया है। शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में कलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करके संक्रमित क्षेत्र के डिसइंफेक्शन एवं सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण किया गया।

अधिक मुनाफा कमाने के लालच में रेलवे इंजीनियर ने गंवाये 31 लाख रूपए

बिलासपुर | आरएनएस

बिलासपुर में ठगों ने एक रेलवे इंजीनियर को शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने के नाम पर 31 लाख रूपये का चूना लगा दिया। पीड़ित इंजीनियर की रिपोर्ट पर साईबर रेंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार रेलवे कॉलोनी में रहने वाले अनिल एक्का रेलवे में सहायक कार्यपालन अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैसेज भेजने वाली एक युवती ने शेयर बाजार में निवेश और अधिक मुनाफे की बात की। पहले तो अनिल एक्का ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन युवती की लगातार बातों से वे प्रभावित हो गए और इस निवेश में रुचि लेने लगे। इसके बाद युवती ने उन्हें एक फॉर्म भरवाया और एक लिंक भेजकर एक एप डाउनलोड करने को कहा। एप पर निवेश करने के बाद उन्हें पहले छोटे-छोटे मुनाफे दिखाए गए। धीरे-धीरे उनकी राशि बढ़ती गई, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हुआ। एप में कुछ महीनों में ही उन्हें 83 लाख रुपये तक का मुनाफ ा दिखने लगा। जब उन्होंने इस रकम को निकालने की कोशिश की, तो जालसाजों ने प्रोसेसिंग फ ीस के नाम पर 20 लाख रुपये मांगे। इस पर अनिल एक्का ने बैंक से लोन लिया और दोस्तों से उधार लेकर पैसे जमा कर दिए। कुल मिलाकर उन्होंने 31 लाख रुपये इस एप में डाल दिए। लेकिन अचानक एप बंद हो गया और कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद इंजीनियर को ठगे जाने का एहसास हुआ और रेंज साइबर थाने पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर रेंज सायबर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जेईई मेंस : रायपुर के शौर्य अग्रवाल 99.99 पर्सेंटाइल हासिल कर बने स्टेट टॉपर

रायपुर | आरएनएस

देश भर के आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) का रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ह्न्ज्र ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिसमें रायपुर के शौर्य अग्रवाल ने टॉप किया है। 99.99 पर्सेंटाइल के साथ शौर्य स्टेट टॉपर बन गए हैं।

आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मेन 2025 सत्र-1 परीक्षा के परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिए हैं। 14 परीक्षार्थियों ने जेईई मेन सत्र-1 में पूर्णांक जीतने ही प्राप्तांक अर्थात 100 पर्सेंटाइल प्राप्त हुए है। परीक्षा इसी साल जनवरी में हुई थी जिसमें 12 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। कल 10 फरवरी को उत्तर पुस्तिका जारी की गई थी।

जेईई मेन 2025 सत्र 1 की पेपर वन की परीक्षा 22,23,24,28 और 29 जनवरी को दो शिफ्टों में परीक्षा हुई थी। पहली पाली सुबह 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन से 6 के बीच हुई थी। परीक्षा में 13 लाख 11 हजार 544 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा का आयोजन 304 शहर के 618 परीक्षा केंद्रों में हुई थी। देश के बाहर भी 15 शहर बनाए गए थे। परीक्षा में 12.58, 136 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जिसमें 4,24,810 महिला उम्मीदवार 8,33,325 पुरुष उम्मीदवार, एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सेशन 1,पेपर 1 की अलग-अलग शिफ्ट में पूछे गए 12 सवालों को फाइनल आंसर किस हटा दिया था। हटाए गए प्रश्नों के पूरे अंक सभी उम्मीदवारों को दिए गए। कल 10 फरवरी को फाइनल आंसर शीट जारी की गई। इसके बाद आज नतीजे घोषित किए गए हैं। जारी नतीजों में 100 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल मिले हैं।

ईओडब्ल्यू दफ्तर में पूर्व महापौर से पूछताछ जारी

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर से ईओडब्ल्यू दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 7 फरवरी को ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर एजाज ढेबर को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, किंतु निगम चुनाव के कार्यों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए एजाज ढेबर ने पूछताछ के लिए समय मांगा था।

बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को एजेंसियों ने घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। मामले में अनवर पहले से ही जेल में बंद है। ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय की टीम मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू को जांच के दौरान नए तथ्य मिले हैं। जिसके बाद पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिसके चलते आज एजाज ढेबर ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे है जहां उनसे लंबी पुछताछ हो रही है।

यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डूप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी। जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ था।

छत्तीसगढ़ में 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस के दफ्तर व घर पर आयकर विभाग का छापा

रायपुर (आरएनएस)। आयकर विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस (जेएईएस) के ठिकानों पर छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम कंपनी के अवंती विहार स्थित ऑफिस के अलावा घर समेत कई ठिकानों पर बुधवार सुबह से पहुंची और जांच की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रानिक डिवाइस की जांच कर रही है। कंपनी और इसके संचालक से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बडिय़ों और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग इस छापेमारी के दौरान सभी संदिग्ध लेन-देन और संपत्तियों की बारीकी से जांच की जा रही है।

मनी लॉड्रिंग के मामले के अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर | आरएनएस

शराब घोटाला तथा मनी लॉड्रिंग के मामले के आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। त्रिपाठी को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हलांकि इसके बाद भी शराब घोटाले के मामले में उन्हें जेल में ही रहना होगा।

दरअसल शराब घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू की तरफ से भी की जा रही है। ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज किए गए मामले में अभी अरुणपति त्रिपाठी को जमानत नहीं मिली है, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बावजूद जेल में ही रहना होगा। बता दें कि अरुणपति त्रिपाठी पिछले साल भर से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

देह व्यापार संचालित करने वाले 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार : होटलों मे कराया जा रहा था देह व्यापार

रायपुर | आरएनएस

थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. मेन रोड से फ्लावर वैली अमलीडीह जाने वाले रोड में कार क्रमांक सी जी/10/एफ ए/5046 के चालक द्वारा शराब के नशे में अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक्टिवा वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था जिससे एक्टिवा वाहन में सवार 03 व्यक्तियों को चोट आने पर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान एक व्यक्ति अरूण कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। प्रार्थी शाहरूख खान की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 83/25 धारा 281, 125(ए), 110, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

तेलीबांधा पुलिस द्वारा कार में सवार आरोपिया युवती सहित आरोपी भावेश आचार्य पिता बी.एस. आचार्य उम्र 39 साल निवासी महावीर नगर गुरूद्वारा के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अपने रिश्ते के बारे में न बताकर लगातार पुलिस टीम को गुमराह किया जा रहा था, कि कड़ाई से पूछताछ में युवती द्वारा बताया गया कि वह उज्बेकिस्तान अंडी जान क्षेत्र की निवासी है, जो जुगल कुमार के बुलाए जाने पर देह व्यापार हेतु मुंबई से रायपुर आकर एक होटल में रूकी थी। इसके साथ ही आरोपी भावेश आचार्य ने पूछताछ में बताया कि वह देह व्यापार के दलाल जुगल कुमार से मोबाईल फोन पर संपर्क कर युवती बुलाने बोला था, जिस पर जुगल कुमार द्वारा उज्बेकिस्तान की युवती को देह व्यापार हेतु रायपुर बुलाया गया था एवं भावेश आचार्य द्वारा इसके एवज में जुगल कुमार को 27,000/- रूपए दिया गया था।

देह व्यापार की घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार, थाना प्रभारी तेलीबांधा एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट रायपुर को देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना तेलीबांधा एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा दोनों आरोपियों से देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा देह व्यापार में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुये आरोपी 01. रवि ठाकरे पिता स्व. कृष्णा राव उम्र 55 साल निवासी आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 02. जागेन्द्र उके उर्फ मोहन पिता हरि उके उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर पहाड़ीपारा गुढियारी रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने साथी जुगल शर्मा सहित अन्य के साथ मिलकर देह व्यापार संचालित करने के माध्यम से अपने ग्राहकों को युवतियों का फोटो व रेट उपलब्ध कराना भी बताया गया। दोनों आरोपियों को दिनांक 10 फरवरी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन से इस व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर प्रकरण में आरोपी बृजेश साहा, मोह. साजिद, दिनेश लिलवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेन्द्र पाठक, शेख नूरूल हक एवं दुर्गेश पनागर को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर 11फरवरी को आरोपी 01. मोह. साजिद पिता मो. तुफानी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेमरिया थाना सेमरिया जिला चतरा हाल पता गली नं. 01 रियाज का मकान मोतीनगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 02. दिनेश लिलवानी पिता सेवक राम लिलवानी उम्र 30 साल निवासी देवपुरी कुर्सी फैक्ट्री के बगल कृष्णा पुरी थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 03. शेख इमरान पिता स्व. शेख रजा उम्र 34 साल निवासी सलानी नगर गली नं. 03 संजय नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 04. अमित सोनी पिता कमल सोनी उम्र 28 साल निवासी पुरानी बस्ती सोनार पारा थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर। 05. रमेन्द्र पाठक पिता स्व. कामता प्रसाद पाठक उम्र 32 साल निवासी रायपुरा सत्यम विहार गली नं. 02 आटा चक्की के पास थाना डीडी नगर रायपुर। 06. शेख नूरूल हक पिता स्व. ताजमुल हक उम्र 49 साल निवासी चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर। 07. दुर्गेश पनागर पिता मोतीराम पनागर उम्र 25 साल निवासी रविदास नगर वार्ड नं. 04 पीजी कॉलेज के पीछे थाना सिटी कोतवाली कवर्धा को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया तथा आरोपी बृजेश साहा का पुलिस रिमाण्ड लिया गया है। आरोपी जुगल कुमार घटना के बाद से पश्चिम बंगाल फरार हो गया था, जिसे टीम के सदस्यों द्वारा 24 परगना पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 89/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जुगल कुमार, रवि ठाकरे एवं जागेन्द्र उके उर्फ मोहन द्वारा अन्य राज्यों से कुछ अन्य युवतियों को रायपुर बुलाकर थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित एक होटल में देह व्यापार कराया जा रहा था, जिस पर तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 22/25 धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रहीं है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480